राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/19836 दिनांक :– 01/11/2017

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषयः– स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में रेकिंग हेतु किये जाने वाले कार्यो के दिशा–निर्देश

विषयान्तर्गत लेख है, कि आपको पूर्व में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हेतु नगर निकायों को अपना सेवा स्तर (Service level) हेतु सर्वेक्षण के कुल 4000 अंको में से 1400 अंक निर्धारित है। विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय पत्र कमांक 17275–466 दिनांक 26.10.2017 को प्रदान किये जा चुके है।

कचरे का संग्रहण एंव परिवहन (collection and transportation of solid waste), कचरे का प्रोसेसिंग एंव डिस्पोजल (processing & disposal of solid waste), स्वच्छता (sanitation) खुले में शौच से मुक्ति आई.ई.सी.(IEC) एंव व्यवहार में परिवर्तन, क्षमता संवर्धन(capacity building) Innovation/Best practiceses मे अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु नगर निकायों को कार्य योजना बनाकर निम्नानुसार तैयारियां करते हुये Self assesment किया जाना है।

क.स.	विवरण
1.	**ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन अन्तर्गत कचरे के संग्रहण एंव परिवहन हेतु निर्धारित कुल 13 प्रश्नो के 420 अंक निर्धारित है, के आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा, जिसके लिये निम्न तैयारियों की जानी होगी।**
1.1	**कुल उत्पन्न कचरे मे से गीले एंव सुखे कचरे का प्रतिशत**
	➢ ठोस अपशिष्ट के स्त्रोत पर पृथकीकरण (Segregation at Source) हेतु जनजागरूकता अभियान ➢ कचरा बीनने वालों (Waste pickers) को गीला एंव सुखा कचरा अलग–अलग इक्ठ्ठा करने हेतु प्रशिक्षण देना ➢ घर–घर कचरा इक्ठ्ठा करने करने वाले ओटोटीपर तथा इस हेतु लगे समस्त वाहनों में गिले एवं सुखे कचरे को अलग–अलग इक्ठ्ठा कर परिवहन करने की व्यवस्था। ➢ Segregated Waste Collection and Transportation का प्रतिदिन का रिकार्ड एवं डाटा रखना
1.2	बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk waste generator) द्वारा कचरे की स्थलीय कम्पोस्टींग(On-site Treatment)
	➢ Bulk Waste generators से संपर्क कर उनमें जागरूकता पैदा करते हुये Segregation of Waste हेतु प्रेरित करना तथा ऐसा करने वालो को प्रोत्साहित करने की स्कीम ➢ Bulk Waste generators का आपस मे कम्पीटीशन करवाया जावें जिससे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकें।

1.3	व्यवसायिक क्षेत्र (Commercial area) का प्रतिशत जहां रोज, सफाई होती है (रात्रि सफाई सहित दिन में दो बार वर्ष के प्रत्येक दिवस में)

- सफाई कर्मचारियों को व्यवसायिक क्षैत्रों मे रेगूलर सफाई हेतु प्रशिक्षण दिया जाना
- अगर सफाई के कार्य को ठेकेदार के माध्यम से करवाया जाता है, तो उसमे अनुबन्ध की शर्त मे व्यवसायिक क्षैत्रो मे दिन मे दो बार तथा रात्रिकालीन सफाई का प्रावधान रखा जावें।
- सफाई मे लगे स्टाफ की उपस्थिति बायोमेक्ट्रिक्स से की जाकर उनकी सेलेरी बायोमेटिक्स मशीन के रिकॉर्ड के आधार पर बनायी जावे।

1.4	घर पर कचरा संग्रहण के वार्डों का प्रतिशत

- शहर को साफ रखने हेतु आवश्यक Man power का आंकलन कर उसके अनुसार Man power एवं संसाधन लगाना।
- GPS आधारित VTS कचरा इक्ठ्ठा करने वाले एवं कचरा परिवहन मे लगे संसाधनों मे आवश्यक रूप से लगाये जावे जिससे निर्धारित रूट चार्ट के आधार पर घर–घर से कचरा संग्रहण किया जा सकें।
- अच्छे कार्य करने वाले ट्रक/वाहन चालकों को प्रोत्साहित किया जावें।

1.5	प्रतिदिन इक्ट्ठा किये गये कचरे का प्रोसेसिंग युनिट तक परिवहन उसी दिन कर उसके निस्तारण का प्रतिशत

- दैनिक रूप से कचरा संग्रहण/परिवहन करने वाले वाहनों का रिकॉर्ड रखना, धर्म कांटे पर तोल करवाना तथा प्रतिदिन लगाये गये ट्रिप का समुचित रिकॉर्ड रखना।
- GPS/TVS लगाकर प्रत्येक वाहन/उपकरण से यह सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का परिवहन उसी दिन किया जावें।
- निकायों के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण

1.6	सौलिड़ वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अनुरूप कचरा बीनने वाले (Waste pickers) का प्रतिशत

- वार्डो मे सर्वे कर कचरा बीनने वालो का आंकलन किया जावें।
- कचरा बीनने वालों का घर–घर कचरा संग्रहण एंव कचरा इक्ठ्ठा करने के सिस्टम मे जोडा जावे।
- वार्ड वाइज कचरा बीनने वालों का रिकॉर्ड तथा उनको ID कार्ड दिया जाना कचरा बीनने वालों को प्रशिक्षण देने का कार्य तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के बारे मे समझाइस करना।

1.7	कचरा संग्रहण स्थलो (कचरा ड़िपो) का विलोपन

- वार्डो मे सर्वे कर कचरा पाइन्ट का आंकलन तथा उनकों साफ करने का प्लान
- कचरा पाइन्ट के आसपास सफाई रखने हेतु नागरिकों को सम्मिलित कर Cleanliness ड्राइव चलाना।
- कचरा पाइन्ट पर नियमित मॉनिटरिंग करना तथा साफ–सफाई सुनिश्चित करना।

1.8	जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (VTS) हेतु स्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालो नियमित/अनुबन्ध वाहनो के चालको का सम्मान/प्रोत्साहन व Route chart का अनुसरण करने वाले वाहन/ओटा टिपर का प्रतिशत

	➢ कचरा संग्रहण करने एवं परिवहन मे लगे वाहनों का आंकलन करना। ➢ आवश्यक GPS/VTS का क्रय कर उनमे लगाना ➢ प्रत्येक वाहन की मासिक रूप से प्रफोरमेन्स की रिपोर्ट तैयार करना ➢ GPS/VTS के अनुसार कार्य नही करने पर लगायी गयी पेनाल्टी का रिकॉर्ड ➢ वार्ड के नागरिकों को वाहन का रूट चार्ट एंव ड्राइवर का विवरण उपलब्ध करवाना तथा उसको public domain पर उपलब्ध करवाना
1.9	सोलिड़ वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अनुरूप व्यवसायिक क्षेत्रो के प्रत्येक 500 मीटर पर नियमित रूप से खाली किये जाने वाले twin Bins की उपलब्धता का विवरण
	➢ MSW Rules 2016 के अनुसार आवश्यक बिन का आंकलन कर गैप का निर्धारण कर आवश्यक बिन की व्यवस्था ➢ GeM पोर्टल से आवश्यक बिन का क्रय करना ➢ लिटर बिन को आवश्यकतानुसार Installation कर उनमें नम्बर इत्यादि लगाना ➢ व्यवसायिक क्षेत्रो मे लिटर बिन के प्रयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाना तथा गीले एवं सुखे कचरे को निर्धारित बिन मे डालने हेतु प्रेरित करना।
1.10	क्या बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रक्रिया को पे – रोल से लिंक किया गया है?
	➢ निकाय मे उपलब्ध कुल कार्मिको की लिस्ट ➢ हाजरीगाह का विवरण ➢ बायो मेट्रिक्स मशीनों का क्रय ➢ कार्मिको को बायो मेट्रिक्स मशीन को उपयोग मे लेने का प्रशिक्षण दिया जाना। ➢ बायोमेट्रिक्स के रिकॉर्ड के आधार पर सेलेरी बनाना।
1.11	स्पॉट फाइन हेतु अधिसूचना व फाइन के कनेक्शन का संकलन
	➢ निकायों को OD points, कचरा फैलाने (Littering) Urination हेतु स्पॉट फाइन हेतु नोटिफिकेशन के अनुसार कार्यवाही ➢ OD points, Litterings एवं Urination वाले स्थानों का चिन्हीकरण करना तथा स्पोट फाइन की सुनिश्चित करना। ➢ फाइन क्लेक्शन का रिकॉर्ड रखना तथा चालाना / रसीद का संधारण
1.12	शासकीय / सार्वजनिक विभागों द्वारा संधारित उद्यानो के कचरे से On site composting करने वाले वार्डों / उद्यानों का प्रतिशत
निकाय क्षेत्र मे स्थित पार्को / उद्यानों का रिकॉर्ड बनाकर प्रमुखतया निम्न लिखित डाटा तैयार करना ➢ पार्को / उद्यानो मे उत्पन्न हाने वाले कचरे का विवरण ➢ पार्को / उद्यानों की संख्या जिनमे on site composting की जाती है। ➢ पार्को / उद्यानो मे कम्पोस्टिंग मशीन क्रय करने का विवरण ➢ प्रत्येक पार्क / उद्यानों मे कम्पोस्ट बनाये जाने की लोग बुक रखकर उसका विवरण संकलित करना। ➢ कम्पोस्टींग मशीन का GeM पोर्टल के माध्यम से क्रय करना। ➢ पार्को / उद्यानों मे उत्पन्न कम्पोस्ट खाद का उपयोग।	
1.13	सफाई के कार्यो मे लगे सभी स्वच्छता कर्मियों को (सुरक्षा उपकरण) वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, दस्ताने, बरसाती उपयुक्त जुते तथा मास्क का प्रावधान एंव स्वच्छता कर्मियों द्वारा उनका नियमित उपयोग।
	➢ निकायों को सफाई कर्मचारियो की वेलफेयर एव सुरक्षा / स्वास्थ्य से संबंधित आंकलन ➢ निकायों द्वारा सफाई कर्मचारियों को यूनिफार्म, फ्लोरोसेंट जैकेट , दस्ताने,

	स्पार्क, जूता एवं मास्क दिये जाने की व्यवस्था। ➢ सफाई कर्मचारियों को इन सुविधाओं का उपयोग को सुनिश्ति करने हेतु औचक निरीक्षण
2.	**ठोस अपशिष्ठ का प्रोसेसिंग एंव ड़िस्पोजल ठोस अपशिष्ठ के प्रोसेसिंग एंव ड़िस्पोज हेतु कुल आठ प्रश्न निर्धारित हैं जिसके कुल मार्क्स 350 निर्धारित है, के आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा, जिसके लिये निम्न तैयारियों की जानी होगी।**
2.1	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु O&M लागत का कितना प्रतिशत रिकवरी UD tax/ user charges से की जाती है।
	➢ ठोस अपशिष्ट के कलेक्शन, सेलेरी, संसाधन एंव केपिटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोसोसिंग कॉस्ट का UD Tax/ user charges से रिकवरी तथा VGF का आंकलन तथा व्यवस्था ➢ SWM user charges को लागू करना व रिकवरी सुनिश्चित करना ➢ अतिरिक्त आवश्यक फण्ड की व्यवस्था
2.2	क्या शहर में स्थापित लेंड़ फिल स्वच्छ लेंड़ फिल (SLF) है?
	➢ SLF पर डिस्पोजल किये जाने वाले कचरे का आंकलन तथा उसका समुचित रिकॉर्ड ➢ 100% प्रोसोसिंग को सुनिश्चित करना Decentralized/centralized processing ➢ MSW Rules 2016 के अनुसार SLF का निर्माण एव उपयोग
2.3	गीले कचरे का प्रोसेसिंग का प्रतिशत (Centralized or decentralized processing)
	➢ शहर मे उत्पन्न होन वाले गीले कचरे का आंकलन तथा वर्तमान मे प्रासोसिंग का आंकलन ➢ 100% प्रोसोसिंग हेतु व्यवस्था ➢ Decanlralized/Centralized processing की सुनिश्चिता on site composing हेतु composting mahines का कय करना।
2.4	सुखे कचरे का प्रोसेसिंग का प्रतिशत (Centralized or decentralized processing)
	➢ शहर मे उत्पन्न होन वाले सुखे कचरे का आंकलन तथा वर्तमान मे प्रासोसिंग का आंकलन ➢ 100% प्रोसोसिंग हेतु व्यवस्था ➢ Decanlralized/Centralized processing की सुनिश्चिता
2.5	लेंड़ फिल तक आने वाले जैविक कचरे (Biodegradable) का प्रतिशत
	➢ शहर मे उत्पन्न होने वाले कुल कचरे का आकलन Decentralized Waste Composing करने वालो का विवरण एंव लिस्ट ➢ टांसफर्र स्टेशन की लोगबुक प्रोसोसिंग प्लाट एवं SLF की लोग बुक का संधारण अव्यवस्थित तरिके से वेस्ट डम्प किये गये का आंकलन तथा वैज्ञानिक रूप से Existing Dumpsite की Capping कर उसका Closure करना
2.6	विद्यमान Dump site के उपचार हेतु उठाये गये कदम तथा उसकी वर्तमान स्थिति
	➢ अपव्यस्थित तरिके से वेस्ट डम्प किये गये का आंकलन तथा वैज्ञानिक रूप से Existing Dumpsite की Capping कर उसका Closure करना
2.7	कम्पोस्ट खाद का विकय (उत्पादन का प्रतिशत)
	➢ चालू प्रोसोसिंग प्लांट का रिकॉर्ड रखना तथा प्लांट पर कुल उत्पन्न खाद तथा विकय की गई खाद का विवरण ➢ प्लांट की सूचना एंव उसका रजिस्ट्रेशन mFMS पोर्टल पर करवाना

2.8	क्या शहर हेतु मान्ता कम्पोस्ट उत्पादक mFMS पोर्टल पर पंजीकृत है? तथा उत्पादक नियमित रूप से उत्पादन संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करते है?

- कम्पोस्ट निर्माताओं को mFMS पर रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उसकी नियमित Sale का विवरण बनाना।

3. स्वच्छता/खुले में शौच से मुक्ति हेतु निर्धारित 11 प्रश्नो के आधार पर कुल 420 अंक निर्धारित हैं, के आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा, जिसके लिये निम्न तैयारियों की जानी होगी।

3.1	ODF Status

- निकाय क्षेत्र की जनसंख्या (Fix एवं Floating) का आंकलन तथा उनके लिये आवश्यक CT/PT की संख्या का आंकलन तथा गैप CT/PT का निर्माण का आंकलन करना
- निकाय क्षेत्र मे स्थित घरो का विवरण तथा जिन घरों मे घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु जगह उपलब्ध हो का विवरण जिन घरो मे जगह नही हो उनके लिए CT/PT की व्यवस्था।
- नये घर बनाने वालो को बिल्डीग प्लान के अनुसार शौचालयों बनाने हेतु प्रेरित करना
- जन जागरूकता अभियान चलाकर ODF हेतु प्रेरित करना
- OD Points पर नियमित Triggering करना
- OD points पर हॉर्डिंग लगाये जाकर जागरूकता
- CT/PT के रखरखाव को सुनिश्चित करना
- स्वच्छ शौचालयों हेतु कम्पीटिशन चलाना
- शौचालयों मे पानी की व्यवस्था करना

3.2	सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के संधारण संचालन की कितनी प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति शौचालय भूमि/भवन के व्यावसायिक प्रयोग से अर्जित राजस्व से होती हैं?

- शहर के समस्त वार्डो मे यूजर चार्जेज के नोटिफिकेशन के अनुसार यूजर चार्जेज की वसूली
- ठेकेदार के माध्यम से संचालित CT/PT मे Revenue sharing का निर्धारण
- SHGs/NGOs / other stake holders को CT/PT के संचालन हेतु लगाना।
- CT/PT के O&M हेतु PPP पर व्यवस्था

3.3	क्या टेंक (सेप्टिक टैंक/सोकपिट) खाली करने वाले ठेकेदार पँजीकत है एंव उनकी निगरानी की जा रही है?

- शहर में Septic tank cleaner/ Private operators का रजिस्ट्रेशन
- RWSs/SHGs के माध्यम से पंजिकृत Septic tank cleaner/Private operators का registration करना तथा उनकों लाइसेंस जारी करना एंव सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाने का प्रमाण पत्र
- Septic tank/ Sock pit सफाई हेतु user charges का निर्धारण एंव कलेक्शन
- Septic tank cleaners/operators का रजिस्ट्रेशन को बाध्यकारी (man datory) करना।

3.4	क्या शहर में STP/FSTP सुविधा उपलब्ध है?

- निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न सीवरेज का आंकलन (MLD)
- कुल उत्पन्न सीवरेज (MLD) के आधार पर आवश्यक STP/FSTP का आंकलन एवं वर्तमान मे उपलबध का STP/FSTP विवरण
- Gap का निर्धारण कर आवश्यक STP/FSTP हेतु डी.पी.आर बनाये जाकर STP/FSTP बनाने का कार्य

3.5	व्यक्तिगत शौचालयों (IHHLs) के सत्यापित आवेदनों में से कितने प्रतिशत शौचालयो का निमार्ण हो चुका है?
	➢ निकायो का IHHL में डाटा पोर्टल की Accuracy ➢ IHHL की Application को वार्ड स्तर पर कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सत्यापन ➢ IHHL की प्रगति की मोनिटरिंग
3.6	कितने प्रतिशत निर्मित IHHL मे जलापूर्ति (water Connections) उपलब्ध है।
	➢ फिल्ड सर्वे कर शौचालयों सहित घरों का विवरण एवं उनमें पानी के कनेक्शन की स्थिति ➢ जन स्वा. अभि. विभाग से Water connection हेतु प्रेरित करना एंव assist करना ➢ वार्ड स्तर पर वाटर कनेक्शन हेतु संबंधित विभाग से वार्ता कर केम्प का आयोजन करवाना।
3.7	IHHLs हेतु आवेदन स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्रतिशत
	➢ IHHLs कि applications को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना। ➢ नियमित रूप से स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर डाटा को अपलोड करना।
3.8	IHHL हेतु स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड किये गये आवेदनों मे से स्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत
	➢ स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर IHHL के डाटा अपलोड करने हेतु कर्मचारी/अधिकारी की डयूटी तथा उसकी जिम्मेदारी तय करना। ➢ नियमित रूप से स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर डाटा अपलोडिंग
3.9	निर्धारित लक्ष्यो के विरूद्व निर्मित सामुदायिक शौचालयों का प्रतिशत (स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 31.12.2017 की स्थिति से)
	➢ फिल्ड सर्वे कर शौचालयों की उपलब्धता का आंकलन ➢ CTs की आवश्यकता का निर्धारण एंव उनका निर्माण ➢ आवश्यक शौचालयों (CTs) के टारगेट के अनुसार निर्माण किये गये शौचालयो (CT) की संख्या ➢ Private Contractor के माध्यम से शौचालयों का निर्माण
3.10	निर्धारित लक्ष्यो की विरूद्व निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रतिशत (स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 31.12.2017 की स्थिति से)
	➢ निकाय क्षेत्र मे जनसंख्या (Fix & Floating) का आंकलन तथा उसके आधार पर पी. टी. का टार्गेट तथा वर्तमान मे उपलब्ध PT के आधार पर गैप का निर्धारण ➢ पी.टी. के निर्माण का मासिक प्लान बनाकर उनका निर्माण ➢ स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाईन्स CPHEEO नार्मस के आधार पर पी.टी. निर्माण पी.टी. को ठेकेदारों के माध्यम से बनाया जाकर उसका संचालन एंव संधारण सुनिश्चित करना
3.11	क्या जनता सभी ईंधन पम्प के शौचालयो की सुविधा का उपयोग कर सकती है?
	➢ ईधन पम्पों (Fuel Stations) के मालिकों को नोटिफिकेशन की प्रति दी जाकर ईंधन पम्पो पर बने शौचालयों को आम जन के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
4.	आई. ई. सी. एंव व्यवहार परिवर्तन (IEC&BC) हेतु निर्धारित कुल 7 प्रश्नों के आधार पर 70 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है, जिनके आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा, जिसके लिये निम्न तैयारियों की जानी होगी।
4.1	क्या स्वच्छ होटल/RWA /मोहल्ला /मार्केट व्यापार संघों को श्रेणी बद्ध (Ranking) किया गया है?

➢ शहर मे उपलब्ध अस्पताल/होटल/RWAs/मार्केट एशोशियशन का सर्व करना।

	➢ अस्पताल/हॉटल/RWAs/मार्केट को स्वच्छता हेतु प्रेरित करना एंव स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के आधार पर प्रश्नावली देना तथा इस हेतु Contact agency का चयन कर Swachh assessment करवाना ➢ Swachh assessment का स्थानीय TV/Radio पर समाचार पत्र पर प्रसारित करना
4.2	सामुदायिक एंव सार्वजनिक शौचालयों पर ICT आधारित निगरानी।
	➢ Geotagging of CT/PT एवं गुगल मैप के माध्यम से Toilet Locator Google Server से रिपोर्ट के आधार पर विवरण तैयार करना। ➢ CT/PT पर नागरिको का feed back हेतु TCIL/BSNL/ITIL मे माध्यम से Citizen feed back system install करना। ➢ उक्त फिड बैक की रिपोर्ट को O&M करने वाली संख्या से जोडकर उसके कार्य का आंकलन करना।
4.3	Segregation at source एंव Swachh Shauchalaya हेतु सरकार द्वारा संचालित अभियानो का स्थानीय स्तर पर प्रयोग।
	➢ RWAS को पोस्टर का वितरण तथा उनकों लगाने हेतु प्रेरित करना ➢ स्वच्छ शौचालयों का पोस्टर प्रत्येक CT/PT पर लगाना ➢ पोस्टर/होर्डिंग की फोटो लेकर उसको पोर्टल पर अपलोड करना
4.4	क्या SBM Brand Ambassadors को औपचारिक रूप से सामुदायिक भागिदारी की गतिविधियों हेतु जोड़ा गया है?
	➢ ब्रांड एम्बेसेडर की नियुक्ति ➢ ब्रांड एम्बेसेडर हेतु मासिक गतिविधियों का निर्धारण एवं उनकी भागीदारी ➢ ब्रांड एम्बसेडर के क्रियाकलापों का मासिक अपडेट कर उसका आंकलन
4.5	Segregation at source व decenlralized Composting संबधित RWAs/Religious Leaders, SHGs के साथ मिटिंग का विवरण।
	➢ RWAs/धर्मगुरू SHGs को Segrigation and Decentralized composting हेतु जागरूक करना ➢ RWAs/धर्मगुरू SHGs को IEC Activites करने हेतु प्रेरित करना तथा उनकों Felicitation करना
4.6	सभी विद्यालयों में सक्रिय स्वच्छता समितियां।
	➢ स्कूलो मे स्वच्छता कमेटी हेतु प्रधानाध्यापकों से संपर्क कर Cleanliness hygiene हेतु Students कें बीच Awareness बनाना। ➢ स्वच्छ कमेटी के रोल एंव Responsibilities का निर्धारण ➢ स्कूलो मे मासिक Cleanliness audit करवाकर स्वच्छता कमेटी के कियाकलापें का आकलंन ➢ स्वच्छता कमेटी की audit को स्थानीय प्रिंट मीडिया मे प्रसारण एवं अच्छे कार्य करने वाली स्कूल का मिडिया मे प्रचार
4.7	आसपास के गांवो में सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता ड्राइव एंव प्रदर्शन।
	➢ निकाय क्षेत्र मे 100 किमी की परिधि मे आने वाले किसानो द्वारा कम्पोस्ट खाद को उपयोग लेने एवं कम्पोस्ट खाद को खरीदने हेतु प्रोगाम बनाकर किसानों को प्रेरित करना। ➢ City compost suppliers का डाटावेस तैयार करना ➢ City compost suppliers को Fertilizer Companies के साथ MOU करना ➢ कृषि विकास केन्द्रो द्वारा कम्पोस्ट की खरीद कर किसानो को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाना।

5. CB हेतु निर्धारित कुल 4 प्रश्नों हेतु 70 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है, के आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा, जिसके लिये निम्न तैयारियों की जानी होगी।

5.1 PIU की स्थापना जिसमें MIS एंव IEC expert हो।

- स्वच्छ भारत मिशन के Implementation हेतु MIS solution एंव IEC initiatives
- आवश्यक स्टाफ की Mapping एंव उनकी क्षमता का निर्धारण
- Out sourced staff का आंकलन, निर्धारण एंव उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की गाईड लाइन के अनुसार कार्य

5.2 अन्य शहरो में EXPOSURE VISIT कार्यशालाओं में शामिल होने के लिए निकायों द्वारा भेजे गये कर्मचारियों की संख्या।

(निकायों को एक्सपोजर विजिट हेतु भेजे गये स्टाफ का विवरण तैयार कर आवश्यकता अनुसार जिस शहर में भेजा गया वहा से प्रमाणीकरण के दस्जावेज प्रस्तुत करने होगें)

5.3 E-Learning Plateform पर निकाय कर्मचारियों द्वारा किये गिये कोंसेज एंव प्रमाण–पत्रों की संख्या (SI&above)

(निकायो द्वारा Sanitary inspector and above की लिस्ट तैयार करते हुए उनके द्वारा किये गये कोंसेज की संख्या एंव उसका प्रमाणीकरण भारतसरकार से करवाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)

5.4 E-Learning Plateform पर निकाय कर्मचारियों द्वारा किये गिये कोंसेज एंव प्रमाण–पत्रों की संख्या। (Junior Engineer and above)

(निकायो द्वारा Junior Engineer and above की लिस्ट तैयार करते हुए उनके द्वारा किये गये कोंसेज की संख्या एंव उसका प्रमाणीकरण भारत सरकार से करवाने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे)

***6. Inovation/Best Practises हेतु कुल 70 अंक निर्धारित है,* के आधार पर सेवा के स्तर का आकंलन किया जावेगा, जिसके लिये निम्न तैयारियों की जानी होगी।**

(निकायों को 1 जनवरी 2017 से 30 अक्टुबर 2017 में बीच किये गये Inovation/Best Practises का मूल्यांकन किया जावेगा)

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि उरोक्तानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हेतु पेरामिटर्स को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही कर स्वच्छ स्र्वेक्षण 2018 अपने शहर को अच्छी पायदान पर लाने के लिये व्यक्तिगत प्रयास करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/16/ 20027–20080 दिनांक :– 07/11/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
7. जिला कलेक्टर समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।

11. उपनिदेशक क्षेत्रीय समस्त।
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियंता

D:\Kala ji\Hindi Letter .docx